

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:आदेश :—

संचिका संख्या-6 / चि0प्रति0-36-02 / 2023

पटना, दिनांक:-

सुश्री/श्रीमती अनुपम कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 11111 दिनांक 05.07.2022 की कंडिका-4 (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार वित्त सेवा में नियुक्ति के पश्चात विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

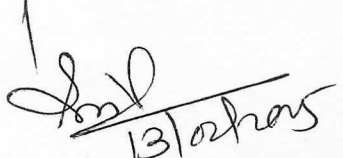
वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / चि0प्रति0-36-02 / 2023 786

पटना, दिनांक:-17/02/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर विशेष आयुक्त (प्रशिक्षण शाखा), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/~~कोषागार~~ पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, दरभंगा/ राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 गैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री/श्रीमती अनुपम कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।


13/02/25

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

(d) बिहार, पटना।